"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 जून 2017 — आषाढ़ 8, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2017/वाक/पांच (68). — छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 6 से 9, 11 से 21, 31 से 41, धारा 42 के उपखंड (9) के परंतुक को छोड़कर, धारा 43 के उपखंड (9) के परंतुक को छोड़कर 44 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163, 165 से 174 के उपबंध लागू होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 जून 2017

क्रमांक एफ 10-42/2017/वाक/पांच (68).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-42/2017/वाक/पांच (68), दिनांक 28-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 28th June 2017

NOTIFICATION

No. F 10-42/2017/CT/V (68). — In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby, appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of Sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, except the proviso to sub-section (9) of Section 42, except the proviso to sub-section (9) of Section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.